

न्यायालय तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 186/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवान:- राज्य सरकार बनाम सुनील कुमार

निर्णय

दिनांक:-09.10.2019

आज यह पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का श्रीडूंगरगढ अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट.1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गैर सायल सुनील कुमार पुत्र/पत्नी श्री पवन कुमार जाति पोडीवाल निवासी कृष्णा मार्बल,नजदीक दशहरा मैदान सरदारशहर रोड, श्रीडूंगरगढ द्वारा ग्राम श्रीडूंगरगढ के आराजी खसर नम्बर 1146 तादादी 0.51 हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु. अराजीराज (बारानी) भूमि में से 0.51 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्बत् 2076 में नाजायज कब्जा कर ग्वार काश्त कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत नोटिस तामिल के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध दिनांक 09.10.2019 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता है, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज ग्वार काश्त कर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल सुनील कुमार का उक्त खसरा नंबर 1146 तादादी 0.51 हैक्टेयर गै.मु. अराजीराज (बारानी) भूमि में से 0.51 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल सुनील कुमार अतिक्रमी की श्रेणी आता है।

अतः गैर सायल सुनील कुमार पुत्र/पत्नी पवन कुमार जाति पोडीवाल निवासी कृष्णा मार्बल,नजदीक दशहरा मैदान सरदारशहर रोड, श्रीडूंगरगढ को ग्राम श्रीडूंगरगढ के खसरा नम्बर 1146 तादादी 0.51 हैक्टेयर गै.मु. अराजीराज (बारानी) भूमि में से 0.51 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्बत् 2076 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 1.00 रुपये रुपये का 50 गुणा से 50 रुपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार कों मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसुली एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफतर हो।



तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

दिनांक 2019-20 के रत्न-4 के मुकदमा ③
पर राशिक 50/- मांग कायमी की गई

